न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 134/2025

तारीख रजू : 21.08.2025 निर्णय दिनांक : 21.11.2025

उनवान

1. राजू पुत्र मनीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम छारदडा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। –अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
2. ग्राम पचांयत देवता, जरिये सचिव ग्राम पंचायत देवता, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान। –रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 988 वाके ग्राम पानेडा निर्णय दिनांक 4/7/2023 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वकील श्री सुबेसिंह यादव अपीलान्ट की ओर से।

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 988 वाके ग्राम पानेडा निर्णय दिनांक 04.07.2023 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के आदेश से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 82/0.47 वाके मौजा पानेडा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है। आराजी के हिस्सा 1/20 का अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार काबिज है। अपीलाण्ट ने अपने हिस्से की भूमि में से 1 ऐयर यानि 0.01 हेक्टेयर भूमि गांव में पानी सप्लाई की बोरिंग करवाने के लिए ग्राम पंचायत देवता को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 23–12–2022 को दी गई थी। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत देवता को 0.01 हैक्टेयर भूमि का दान पत्र करवाने के बाद ग्राम पंचायत देवता के पक्ष में 0.01 हैक्टेयर भूमि की जगह अपीलाण्ट के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि हिस्सा 1/20 यानि 2.35 ऐयर भूमि का नामान्तरण संख्या 988 दिनांक 4–7–2023 को ग्राम पंचायत देवता के पक्ष में खोल दिया गया। अपीलाण्ट ने केसीसी बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तो अपीलाण्ट को पता चला कि उसकी सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण ग्राम पंचायत देवता के हक में खोल दिया गया है जिस पर अपीलाण्ट ने तहसीलदार कोटपूतली को नामान्तकरण निरस्त करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु कहा।

अन्त मे वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 988 दिनांक 4–7–2023 ग्राम पानेडा द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत हाल आरजी खसरा नम्बर 82/0.47 वाके

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

मौजा पानेडा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का गौर से अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने उक्त अपील तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा नामान्तकरण संख्या 988 वाके ग्राम पानेडा निर्णय दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने अपनी आराजी के हिस्से में से 0.01 हैक्टेयर भूमि का दान पत्र ग्राम पंचायत देवता के पक्ष में किया था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने 0.01 हैक्टेयर भूमि की जगह अपीलाण्ट के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि 0.47 हैक्ट0 भूमि का नामान्तरण संख्या 988 दिनांक 4–7–2023 ग्राम पंचायत देवता के पक्ष में दर्ज कर दिया, जबकि अपीलान्ट के द्वारा दान की गई 0.01 हैक्ट0 भूमि को ग्राम पंचायत देवता के नाम दर्ज करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2023 में त्रुटि हुई है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा गलत अंकन किया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य साबित होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 988 वाके ग्राम पानेडा तहसील कोटपूतली दिनांक 04.07.2023 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार कोटपूतली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः जॉच कर पक्षकारान के हिस्से अनुसार नियमानुसार विधिसम्मत् पुनः नामांतकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़